UPRB010041092026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी–(अमित पाल सिंह) (एच जे एस)– UP05691

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1777/2026

1. मो० कलीम उम्र 38 वर्ष पुत्र अमीन व गोद लिये पिता यूशूफ
2. हलीम खान उर्फ सोनू उम्र 35 वर्ष, पुत्र अमीन
समस्त निवसीगण अकबरपुर फर्सी थाना शिवरतनगंज, जिला अमेठी।

....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

...विपक्षी/अभियोगी।

02–07–2026

अभियुक्तगण **मो० कलीम** एवं **हलीम खान उर्फ सोनू** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या **62/2026**, अन्तर्गत धारा– **115(2),352, 351(3),109(1), भारतीय न्याय संहिता,** थाना **शिवरतनगंज,** जनपद **अमेठी** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा द्वारा सम्बन्धित थाने पर इस आशय की प्रथमसूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि प्रार्थिनी कर्मा देवी पत्नी स्व० जगदीश प्रसाद ग्राम रामपुर पवारा थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी की निवासी है। घटना आज दिनाँक 17.06.2026 समय करीब 6.00 बजे शाम की है प्रार्थिनी अपने पुत्र वीरेन्द्र कुमार व पौत्र मन्नत आयु 8 वर्ष के साथ ग्राम फर्सी थाना शिवरतनगंज स्थित अपने खेत जुतवाने गई थी खेत मे खडे खरपतवार को जलाने के लिये प्रार्थिनी ने अपने खेत में आग लगा दी थी तभी फर्सी के ही निवासी कलीम पुत्र अमीन आये और प्रार्थिनी से कहा कि इस आग से मेरे पेड जल जायेगें और गाली देने लगे और फोन कर सोनू पुत्र अमीन, नईम पुत्र कलीम व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति को बुला लिया सोनू, नईम अपने हाथ में लोहे की राड लेकर आये और एक राड कलीम को भी दी और सभी लोग मेरे पुत्र वीरेन्द्र कुमार को लोहे की राड से जानलेवा हमला कर दिया विपक्षीगण ने प्रार्थिनी के पुत्र के सिर पर वार कर दिया जिससे प्रार्थिनी का पुत्र बेहोश हो गया प्रार्थिनी अपने पौत्र को लेकर गाँव की ओर भाग कर शोर मचाया तो गाँव के लोग दौडे तब प्रार्थिनी के पुत्र की जान बची विपक्षीगण दुवारा गाँव में दिखाई देने पर जान से मार देने की धमकी देकर भाग गये । विपक्षी गण के हमले से प्रार्थिनी के पुत्र वीरेन्द्र कुमार के सिर, गले, हाथ पैर व पूरे शरीर पर काफी चोटे आई है। प्रार्थिनी अब अपने गाँव के लोगो को फोन करने पर गांव के लोग हम लोगो को लेकर थाने आये है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज कर विपक्षीगण के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की कृपा की जाये । प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ की गयी। मामले में अभी विवेचना प्रचलित है।

आवेदक–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण को अपराध उपरोक्त में गलत तथ्यों के आधार पर झूठा फंसाया

गया है। उक्त वाद का कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगणो ने कथित दिनांक व समय व स्थान पर कोई जानलेवा हमला कथित चोटहिल वीरेन्द्र कुमार पर नही किया है न ही कोई गाली दी गयी है न ही जान से मारने की धमकी दी है। प्रार्थी/अभियुक्तगणो से वर्तमान ग्राम प्रधान चुनावी रंजिश रखते थे इसी रंजिश को लेकर वादिनी से साजिश रच कर गलत तथ्यो पर रिपोर्ट अंकित करायी है। चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर अं०धारा 109 (1) बी०एन०एस० का मामला नही बनता है। प्रार्थी/अभियुक्तगणो की कोई विशिष्ट भूमिका प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अंकित नही है। कथित चोटहिल को किसी अन्य प्रकार से चोटे आयी है मात्र गांव की पार्टीबंदी के चलते झूठी रिपोर्ट अंकित करायी गयी है। कथित घटना का कोई ठोस साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पास नही है जो यह साबित कर सके कि कथित घटना मे प्रार्थी/अभियुक्तगणो की किसी भी प्रकार की कोई भागीदारी रही है महज मनगढंत साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने उपरोक्त मामले मे वांछित किया है। प्रथम दृष्टया अभियोजन प्रपत्रो के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्तगणो पर उपरोक्त प्रकृति का अपराध नही सृजित होता है। प्रार्थी/अभियुक्तगणो के पास से जो बरामदगी दिखायी गयी है वह फर्जी है बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 19.06.26 से जिला कारागार रायबरेली मे निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्तगण अपनी विश्वसनीय जमानतें देने को तैयार है। अतः उसके द्वारा जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण है। आवेदक–अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलन किया गया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से यह बचाव लेने का प्रयास किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण को प्रधानी के चुनाव को लेकर वादिनी से साजिश रचकर प्रस्तुत प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वादिनी के पुत्र चोटहिल वीरेन्द्र कुमार को साधारण प्रकृति की चोटें पायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के अतिरिक्त प्रश्नगत घटना में दा अन्य व्यक्ति को भी नामित अभियुक्त बनाया गया है परन्तु किसी भी अभियुक्त की सहभागिता प्रश्नगत घटना में संदर्भित नही की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 19–06–2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। वादिनी की ओर से यह कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा उक्त हमला जान से मारने की नीयत से किया गया था जिसमें भिन्न–भिन्न प्रकार की चोटे आना बताया है परन्तु चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से अभियोजन कथानक की पुष्टि नही होती है।

जहाँ तक आवेदक–अभियुक्तगण द्वारा लिए गए उपरोक्त बचाव का प्रश्न है, वादिनी घटना स्थल से लगभग 5 किमी० दूर निवास करती है और उक्त दोनों पक्ष अलग–अलग ग्राम के निवासी है, ऐसे में प्रधानी चुनावी रंजिश होने का कोई प्रश्न ही नही है। अभियोजन कथानक, केस डायरी व चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वादिनी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तगण व दो अन्य व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में, अपने खेत में आग लगाने पर, अभियुक्त कलीम के आने और उसके द्वारा गाली देने और फोन करके अभियुक्त सोनू , नईम व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति को बुलाकर, वादिनी के पुत्र वीरेन्द्र कुमार के ऊपर लोहे की राड से जानलेवा हमला किया जाना बताया गया है। वादिनी द्वारा उक्त हमला जान से मारने की नीयत से किया जाना बताया गया है , जिसमें उसके पुत्र को भिन्न–भिन्न प्रकार की चोटे आयी है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण पर प्रश्नगत घटना में लोहे की राड से वादिनी के पुत्र पर जान लेवा हमला किये जाने का अभियोग है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार वादी के पुत्र चोटहिल को भिन्न–भिन्न प्रकार की तीन चोटें पाया जाना बताया गया है जिसमें दो चोटें क्रमशः आक्सीपिटल रीजन व फ्रण्टल रीजन पर पाया जाना बताया गया है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आवेदक–अभियुक्तगण को जमानत दिये जाने के आधार पर्याप्त नही पाये

जाते है। तदानुसार आवेदक–अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक–अभियुक्तगण **मो० कलीम** एवं **हलीम खान उर्फ सोनू** द्वारा अपराध संख्या **62/2026,** अन्तर्गत **धारा– 115(2),352,351(3),109(1), भारतीय न्याय संहिता,** थाना **शिवरतनगंज,** जनपद **अमेठी** के मामले में प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(अमित पाल सिंह)
UP05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
02–07–2026

Renu Srivastava
Stenographer

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.07.02 16:16:42 IST
Reason: Document Owner order
Location: District and Sessions Court,Raebareli